

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | विभाग                     | पशुपालन   |
| 2. | योजना का नाम –            | राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना  |
| 3. | योजना संक्षिप्त टिप्पणी–  | बीमारी/आकस्मिक दुर्घटना से पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु।  |
| 4. | पात्रता की अर्हता–        | प्रत्येक पशुपालक के 05 पशुओं का बीमा रू0 10000 से 40000 तक की कीमत का एक वर्ष हेतु एवं 03 वर्ष हेतु किया जा सकता है।          |
| 5. | आवेदन की प्रक्रिया–       | समस्त पशुपालक अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।                                   |
| 6. | लिंक वेबसाईट              | <a href="http://animalhusb.up.nic.in/">http://animalhusb.up.nic.in/</a>   |
| 7. | सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी | अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक पशुपालन, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है । |